वित्त निर्देश 19/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 173/एफ 2018-04-04169/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 07 अप्रैल, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः—आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना से 01.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में नियमित हुए शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम 1979 के अंतर्गत पेंशन भुगतान

संदर्भः—वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 79/एल 2017-04-00364/वित्त/नियम/चार, दिनांक 28.02.2018

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना में दिनांक 1.11.2004 के पश्चात नियमित हुए ऐसे कर्मचारी जिन्हें अंशदायी पेंशन योजना का सदस्य बनाया जाकर योजनांतर्गत कटौती की गई है, किन्तु उन्हें माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.2.2015 के अनुसार छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम 1979 के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होती है, उन्हें पेंशन भुगतान करने तथा अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत जमा राशि के निराकरण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ उक्त न्यायालयीन आदेश के संदर्भ में समस्त प्रशासकीय विभागों को अवगत कराया जाता है कि यदि उनके विभाग में ऐसे कर्मचारी हो तो इन कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत PRAN में अंशदान की कटौती बंद कर दिया जावे। ऐसे कर्मचारियों को Non-NPS कर्मचारी चिन्हांकित करते हुए वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 436/एफ 2017-04-03761/वि/नि/चार, दिनांक 24.10.2017 एवं ज्ञापन क्रमांक 459/एफ 2017-04-03761/वि/नि/चार, दिनांक 08.11.2017 अनुसार PRAN में जमा राशि को सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ./डी.पी.एफ.) खाते में तथा शासन के अंशदान एवं उस पर उपार्जित लाभ को राज्य शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 02/04/2018
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 174/एफ 2018–04–04169/वि/नि/चार   नया रायपुर, दिनांक 07 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई. दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट WWW.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

07.04.18

(राघवेन्द्र कुमार)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी